पत्रांक : 2142 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / आई0टी0–अनु0 / 2016–17 / देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(आई0टी0–अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016

:: परिपत्र ::

(सुख–साधन कर से सम्बन्धित ई–पेमेन्ट के सम्बन्ध में प्रक्रिया)

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर की विभागीय वैबसाईट www.comtaxappl.uk.gov.in के माध्यम से सुख–साधन कर (Luxury Tax) से सम्बन्धित व्यापारियों के द्वारा सुख–साधन कर (Luxury Tax) एवं अन्य भुगतान करने हेतु e-payment की सुविधा प्रदान की गई है। Luxury Tax हेतु e-payment द्वारा भुगतान निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा :–

Step 1- सर्वप्रथम वाणिज्य कर की विभागीय वैबसाईट www.comtaxappl.uk.gov.in पर जाकर e-payment पर Click करेंगे। Click करने पर Registered Dealer, Un-Registered Dealer एवं Registration Applicant के Option दिखाई देंगे।

Step 2- प्राप्त Option में से Registered Dealer के Option का चयन कर Select Tax Type के अन्तर्गत Luxury Tax का चयन कर नीचे दिए गए कॉलम में TIN No., Payer's Name एवं Mobile No. अंकित कर Proceed to OTP button पर Click करेंगे।

Step 3- OTP button पर Click करने के उपरान्त व्यापारी द्वारा दिए गए Mobile No. पर SMS द्वारा एक One Time Password प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त Password को निर्धारित स्थान पर भरकर Submit के Button पर Click कर Submit किया जाएगा।

Step 4- Submit करने के उपरान्त चालान खुल जाएगा। चालान में दिए गए विवरणों में Assessment Year, Tax Period एवं Name of Bank अंकित कर, दिए गए Luxury Tax Head के समक्ष भुगतान की जाने वाली धनराशि अंकित की जाएगी।

Step 5- चालान से सम्बन्धित उक्त विवरणों को भरने के पश्चात् Image Verification Code को निर्धारित स्थान पर भरकर Make Payment के Button पर Click करेंगे।

Step 6- Click करने के उपरान्त Confirmation of e-payment of Challan का पेज खुलेगा। इसमें अंकित विवरणों की व्यापारी द्वारा जाँच की जाएगी एवं सही होने की दशा में उनके द्वारा Submit to the Bank पर Click किया जाएगा।

Step 7- Click करने के उपरान्त व्यापारी द्वारा चयनित Bank की Website खुल जाएगी। व्यापारी द्वारा अपने Bank की ID व Password का प्रयोग करते हुए देय कर / अन्य भुगतान किया जाएगा तथा चालान की प्रति का Print out भी लिया जा सकेगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : 2142 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / रुद्रपुर।

2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

4– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं Web Information Officer को विभागीय वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

5– मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी / विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Aud_(Vidhi_L)